UPMT010046042026

न्यायालय सत्र न्यायाधीश, मथुरा।
उपस्थित–विकास कुमार–I, उच्चतर न्यायिक सेवा
जमानत प्रार्थनापत्र संख्या–2002/2026
प्रशांत त्यागी प्रति उत्तर प्रदेश राज्य

आदेश

मुकदमा अपराध संख्या–128/2026, धारा–310(2),317(3),127(2), 118(1) भारतीय न्याय संहिता, थाना रिफाइनरी, जिला मथुरा के प्रकरण में आवेदक/अभियुक्त **प्रशांत त्यागी** की ओर से स्वयं को जमानत प्रदान किए जाने के लिए यह जमानत प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया गया है।

2– प्रस्तुत प्रकरण में आवेदक/अभियुक्त द्वारा सह अभियुक्तगण के साथ मिलकर वादी को अपनी गाड़ी में जबरदस्ती नीचे डालकर, उसकी गर्दन पर चाकू रखकर उसको चोट पहुंचाना, उसका मोबाइल आईफोन 15 व स्मार्ट वॉच को छीनना/लूटना, वादी के एकाउण्ट से एक लाख रूपये अपने खाते में ट्रांसफर करना तथा गिरफ्तारी के समय अभियुक्तगण से लूटा गया मोबाइल, एक स्मार्ट वॉच एवं घटना में प्रयुक्त गाड़ी व चाकू बरामद होना आदि आक्षेपित है।

3– जमानत प्रार्थनापत्र पर आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता–फौजदारी को सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

4– आवेदक/अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थनापत्र एवं समर्थित शपथपत्र द्वारा प्रेम सहाय त्यागी पर बल देते हुए मुख्यतः कथन/तर्क किए गए हैं कि वह निर्दोष है, उसे झूंठा फंसाया गया है। यह उसका प्रथम जमानत प्रार्थनापत्र है, इसके अलावा किसी न्यायालय में न लगाया, न विचाराधीन है और न खारिज हुआ है। वास्तविकता यह है कि वह जिला धौलपुर, राजस्थान का निवासी है। दिनांक 19.05.2026 को धौलपुर से रोहिनी नई दिल्ली के लिए कर्मचारी चयन आयोग की प्रतियोगी परीक्षा, जोकि दिनांक 21.05.2026 को सुबह की शिफ्ट में देने के लिए जा रहा था, तभी वह मथुरा वृन्दावन दर्शन हेतु उतरकर टैम्पो से वृन्दावन के लिए जाने के लिए अन्य सवारी से कुछ कहासुनी हो गयी। पास में ही खड़ी हुई पुलिस उसको जबरन अपने साथ थाने ले गयी, जहाँ पहले से मौजूद चार अन्य व्यक्ति के साथ उस पर पुलिस द्वारा अपना गुडवर्क दिखाये जाने की नीयत से झूंठा मुकदमा प्लांट कर दिया। उसका घटना से कोई संबंध व सरोकार नहीं है तथा न ही उक्त घटना से संबंधित कोई भी वस्तु उससे बरामद हुई है। तथाकथित दर्शायी गयी बरामदगी फर्जी प्लांट की गयी है। उसका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है और न ही पूर्व सजायाफ्ता है। मामले का कोई स्वतंत्र व निष्पक्ष जनसाक्षी प्रथम सूचना रिपोर्ट में नहीं दर्शाया गया है। वह दिनांक 21.05.2026 से जिला कारागार, मथुरा में निरूद्ध है। वह जमानत का दुरूपयोग नहीं करेगा। अतः उसे दौरान मुकदमा जमानत प्रदान की जाय।

प्रतिवाद में अभियोजन पक्ष की ओर से तर्क दिये गये हैं कि आवेदक/अभियुक्त द्वारा सह अभियुक्तगण के साथ मिलकर, वादी को गाड़ी में बंधक बनाकर, चाकू दिखाकर व मारपीट कर उससे जबरदस्ती उसका मोबाइल फोन व स्मार्ट वॉच लूटी गयी व मोबाइल से उसके खाते से एक लाख रूपये अपने खाते में ट्रांसफर किये गये हैं। अभियुक्तगण से घटना में प्रयुक्त गाड़ी, चाकू व लूटा गया मोबाइल फोन व स्मार्ट वॉच बरामद हुई है।

Digitally signed by VIKAS KUMAR
Date: 2026.06.03 12:34:59 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

आवेदक/अभियुक्त को झूंठा फंसाये जाने का कोई कारण नहीं है। आवेदक /अभियुक्त जमानत का पात्र नहीं है।

5– केस डायरी में उपलब्ध वादी यश के चिकित्सीय परीक्षण में उसके 10 चोटें साधारण प्रकृति की दर्शायी गयी हैं। अभियोजन की ओर से आवेदक/अभियुक्त व सह अभियुक्तगण से घटना में प्रयुक्त गाड़ी, चाकू व लूटा गया मोबाइल फोन व स्मार्ट वॉच की बरामदगी बतायी गयी है।

आवेदक/अभियुक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट में स्पष्टतः नामित है। प्रकरण में विवेचना प्रचलित है। आवेदक/अभियुक्त की ओर से कथित रूप से स्वयं को झूठा फँसाए जाने का कोई यथोचित कारण दर्शित नहीं किया गया है। अतः उपरोक्त समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों के प्रकाश में, बिना प्रकरण के गुण–दोष पर जाए, आवेदक/अभियुक्त को जमानत प्रदान किए जाने का कोई न्यायोचित आधार प्रतीत नहीं होता है।

निष्कर्षतः जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किए जाने योग्य है, **निरस्त** किया जाता है।

कार्यालय लिपिक को निर्देशित किया जाता है कि वह जमानत आदेश की सॉफ्ट कॉपी अधीक्षक, जिला कारागार, मथुरा को ई–मेल districtjailmathura@gmail.com पर आवेदक/अभियुक्त के अभिलेख हेतु प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

दिनांक–03.06.2026

(विकास कुमार–I)
सत्र न्यायाधीश, मथुरा।
I.D.No.U.P. 1910

खेम सिंह, पी०एस०